

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

1. प्रयोज्यता का क्षेत्र और पूंजी पर्याप्तता Scope of Application and Capital Adequacy

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्यता का क्षेत्र Table DF-1: Scope of Application

लेखांकन और विनियामक समेकन / Accounting and regulatory consolidation

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को एक साथ जोड़ते हुए पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर लेखांकन मानक (एएस) 21, समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार अपनी सहायक संस्थाओं का समेकन करता है. सहयोगी संस्थाओं में निवेशों को एएस-23, “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन” के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध किया जाता है.

समेकित विवेकपूर्ण विनियामक रिपोर्टिंग के उद्देश्य से समेकित बैंक के तहत समूह कंपनियां जो बीमा कारोबार और किसी गैर-वित्तीय गतिविधियों में शामिल हैं, को छोड़कर बैंक के नियंत्रणाधीन सभी समूह संस्थाएं शामिल हैं. लेखांकन और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकित स्थिति के साथ बैंक की सहायक और सहयोगी संस्थाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

For the purpose of financial reporting, the Bank consolidates its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21, Consolidated Financial Statements, on a line-by-line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenditure. Investments in associates are accounted for by the equity method in accordance with AS-23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”.

For the purpose of consolidated prudential regulatory reporting, the consolidated Bank includes all group entities under its control, except group companies which are engaged in insurance business and any non-financial activities. Details of subsidiaries and associates of the Bank along with the consolidation status for accounting and regulatory purposes are given below:

समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है: आईडीबीआई बैंक लि.

Name of the head of the banking group to which the framework applies: IDBI Bank Ltd.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(i) गुणात्मक प्रकटन / Qualitative Disclosures

क. समेकन के लिए शामिल समूह संस्थाओं की सूची

a. List of group entities considered for consolidation

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/India	हाँ / Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	हाँ / Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / भारत IDBI Asset Management Ltd/India	हाँ / Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	हाँ / Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि./ भारत IDBI MF Trustee Company Ltd/ India	हाँ / Yes	एस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI MF Trustee Company Ltd is a non- Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई इंटेक लि./ भारत IDBI Intech Ltd/ India	हाँ / Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	आईडीबीआई इंटेक लि. गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI Intech Ltd is a non- Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि./ भारत IDBI Trusteeship Services Ltd/ India	हाँ / Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI Trusteeship is a non- Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
बॉयोटेक कंसोर्सियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	हाँ / Yes	एएस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन" Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित Risk weighted for capital adequacy purposes

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड National Securities Depository Limited	हाँ / Yes	एएस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन" Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित Risk weighted for capital adequacy purposes

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसईजीआईएल) NSDL E-Governance Infrastructure Limited (NSEGIL)	हाँ / Yes	एएस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन" Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित Risk weighted for capital adequacy purposes

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड North Eastern Development Finance Corporation Limited	हाँ / Yes	एएस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध, "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन" Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित Risk weighted for capital adequacy purposes

* एनए - लागू नहीं / * NA – Not Applicable

- ख. समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न की गई समूह संस्थाओं की सूची:**
b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

समूह की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न किया गया हो.

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(ii) संख्यात्मक प्रकटन / Quantitative Disclosures:

ग. विनियामक समेकन में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची

c. List of group entities considered for regulatory consolidation:

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि ऊपर (i) क. में दर्शाया गया है.) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	संस्था का मुख्य कार्यकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/ India	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादों का वितरण, मर्चेन्ट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं. Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services, etc.	₹1,281.0	₹3430.61
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि./ भारत IDBI Asset Management Ltd/India	एमएफ़ योजनाओं के तहत जुटाई गई निधियों के निवेशों का प्रबंध करता है. Manages investments of funds raised through MF schemes.	₹2,000	₹1160.99

(घ) सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की संकलित राशि, जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया हो:

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

किसी सहायक संस्था में ऐसी कोई पूंजीगत कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

There is no capital deficiency in any subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(ड) बीमा संस्थाओं में बैंक के हित की संकलित राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जो कि जोखिम-धारित है:

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

बीमा कंपनी का नाम/ निगमन देश Name of the insurance entities / country of incorporation	संस्था का मूल कार्यकलाप Principle activity Of the entity	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % / वोटिंग अधिकार का अनुपात % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on Regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि./ भारत IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. / India	जीवन बीमा कारोबार Life Insurance business	63559	48 %	2796

(च) बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार के प्रतिबंध या रुकावट :

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं है.

There are no restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

तालिका डीएफ -2 : पूंजी पर्याप्तता / Table DF-2: Capital Adequacy

बैंक संभावित हानि जोखिमों के प्रति कुशन के रूप में तथा अपने हितधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूंजी रखता है और उसका प्रबंध करता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकता को इसकी कारोबार रणनीति के अनुसार इसकी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनिमय दर, नकदी स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाजार के रुख के बारे में राय तय की जाती है. इसके अलावा तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है. साथ ही सटीक अनुमान दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स पर भी विचार किया जाता है. The Bank maintains and manages capital as a cushion against the risk of probable losses and to protect its stakeholders, depositors and creditors. The future capital requirement of the Bank is projected as a part of its annual business plan, in accordance with its business strategy. To calculate the future capital requirements of the Bank a view on the market behaviour is taken after considering various factors such as interest rate, exchange rate and liquidity positions. In addition, broad parameters like balance sheet composition, portfolio mix, growth rate and relevant discounting are also considered. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections.

दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है.

In line with the Basel III guidelines, which are effective since April 01, 2013, the Bank has been calculating its capital ratios as per the extant RBI guidelines.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

बासेल III मानदंडों का मुख्य ध्यान टियर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर है। बैंक को अनर्जक आस्तियों के लिए उच्चतर प्रावधानीकरण के कारण हानि उठानी पड़ी है, जिसके कारण बैंक का पूंजी अनुपात (सीईटी 1 - सीआरएआर) न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं से कम हो गया है। The main focus of Basel III norms is on the quality and quantity of Tier I capital. The bank has incurred losses on account of higher provisioning in non-performing assets due to which the capital ratio (CET 1 – CRAR) of the bank fell below the minimum regulatory requirements.

31 मार्च 2017 को बैंक की एकल सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार है:

The Standalone CRAR position of the Bank as on March 31, 2017, is as given below:

सीआरएआर / CRAR	बासेल III / Basel III
सीईटी 1 / CET 1	5.636%
टियर 1 / Tier 1	7.812%
टियर 2 / Tier 2	2.886%
कुल (टियर 1 + टियर 2) / Total (Tier 1 + Tier 2)	10.699%

वर्तमान व भावी जोखिमों की पहचान, मात्रा-निर्धारण और अनुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है। इस नीति में ऐसे जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से आईसीएएपी अभ्यास किया जाता है कि बैंक के पास अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। बैंक की समेकित दबाव परीक्षण नीति भी है जिसमें विनियामक दबाव स्थितियाँ शामिल हैं जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूंजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी दबाव परिदृश्य के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दबाव परीक्षण अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण ढांचे पर आधारित है जिसमें दबाव परीक्षण पर रिजर्व बैंक के दिनांक 02 दिसंबर 2013 के दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है। बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर दबाव परिदृश्य के प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। इस अभ्यास के परिणाम उपयुक्त बोर्ड स्तरीय समिति (यों) को सूचित किए जाते हैं।

For identification, quantification and estimation of current and future risks, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing such risks, measuring their impact on the financial position of the Bank and formulating appropriate strategies for their containment & mitigation; thereby maintaining an adequate level of capital. The ICAAP exercise is conducted periodically to determine that the Bank has adequate capital to meet regulatory requirements in line with its business requirements. The Bank also has a comprehensive stress test policy covering regulatory stress conditions to give an insight into the impact of severe but plausible stress scenarios on the Bank's risk profile and capital position. The stress test exercises are carried out regularly based on the board approved stress testing framework incorporating RBI guidelines on Stress testing dated December 02, 2013. The impact of stress scenarios on the profitability and capital adequacy of the Bank are analyzed. The result of the exercise is reported to the suitable board level committee(s).

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

दिनांक 31 मार्च 2017 को समेकित सीआरएआर स्थिति निम्नानुसार है:
The Consolidated CRAR position, as on March 31, 2017 is as under:

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

		(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)
पूंजी आवश्यकता / Capital requirement		
ऋण जोखिम पूंजी : / Credit Risk Capital:		
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो / Portfolios subject to standardized approach		238,363.83
प्रतिभूतिकरण / Securitization		127.23
बाजार जोखिम पूंजी / Market Risk Capital:		
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण / Standardized duration approach		16,147.30
ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk		8,736.20
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) / Foreign exchange Risk (including Gold)		270.00
इक्विटी जोखिम / Equity Risk		7,141.10
परिचालन जोखिम पूंजी / Operational Risk Capital:		
मूल संकेतक दृष्टिकोण / Basic indicator approach		15,478.19
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी / Total Minimum Capital required		270,116.55
(प्रतिशत / Percentage)		
सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी का अनुपात:		
Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total capital ratio:		
सीईटी 1 / CET 1		5.750%
टियर 1 / Tier 1		7.921%
टियर 2 / Tier 2		2.880%
कुल (टियर 1 + टियर 2) / Total (Tier 1 + Tier 2)		10.801%

2. जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन / Risk exposure and assessment

तालिका डीएफ-3: ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures for All Banks :

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा की शर्तों के अनुसार उसकी देयताओं के दायित्वों को पूरा न करने अथवा उसकी चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है। ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के जरिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढांचा बनाया गया है। यह ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा के साथ ही जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रस्तुत करता है। रिपोर्टिंग संबंध तथा सूचना प्रबंध प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है।

Credit risk is the risk of loss that may occur due to default of the counterparty or from its failure to meet its obligations as per terms of the financial contract. Any such event will have an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending, investment and contractual arrangements. To counter the effect of credit risks faced by the Bank, a robust risk governance framework has been put in place. The framework provides

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

a clear definition of roles as well as allocation of responsibilities with regard to ownership and management of risks. Allocation of responsibilities is further substantiated by defining clear hierarchy with respect to reporting relationships and Management Information System (MIS) mechanism.

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां / Bank's Credit risk management policies

बैंक ने कार्यविधियों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम प्रबंध नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किए हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों के लिए बाध्यकारी हैं। बैंक की ऋण नीति ऋण एक्सपोजरों के परिमाण, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है। यह नीति कंपनियों, कारोबार समूहों, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेक्टरों में पोर्टफोलियो के विशाखन जैसे सूक्ष्म कारकों पर भी ध्यान देती है। यह नीति मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में कॉर्पोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।

The Bank has defined and implemented various risk management policies, procedures and standards with an objective to clearly articulate processes and procedural requirements that are binding on all concerned Business groups. The Credit Policy of the Bank is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio by measurement, monitoring and control of the credit exposures. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across companies, business groups, industries, geographies and sectors. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in light of prevailing business environment and regulatory stipulations.

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक के खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं। यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है। ऋण नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गति की प्रत्याशा में या उसके प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा, जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है। यह नीति बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

The Bank's Credit Policy also details the standards, processes and systems for growing and maintaining its Retail Assets portfolio. The policy also guides the formulation of Individual Product Program Guidelines for various retail products. The Credit policy is reviewed annually in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory & market) in which the Bank operates or to change in strategic direction, risk tolerance, etc. The policy is approved by the Board of Directors of the Bank.

ऋण जोखिम के संकेद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूहों से संबंधित एक्सपोजर, संवेदनशील क्षेत्र के एक्सपोजरों, उद्योग एक्सपोजर और अप्रतिभूत एक्सपोजर के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किए हैं। नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूंजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करता है। इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं।

To control concentration of credit risk, the Bank has put in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, groups, exposure to sensitive sector, industry exposure, unsecured exposures, etc. Norms have also been detailed for soliciting new business as well as for preliminary scrutiny of new clients. The Bank abides by the directives issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Commercial Real Estate, Capital Markets and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में एक्सपोजर से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियां हैं।

The Bank has a specific policy on Counter Party Credit Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries.

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया / Credit risk assessment process:

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है। बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का एक मुख्य साधन है।

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

The sanction of credit proposals is in accordance with the delegation structure approved by the Board of Directors. Credit risk rating, used by the Bank is one of the key tools for assessing its credit proposals.

बैंक ने बासेल अपेक्षाओं के अनुरूप आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है। यह रेटिंग के लिए एक द्विआयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है। उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके।

The Bank has implemented internal rating model Risk Assessment Module (RAM), a two - dimensional module for rating viz.; obligor and facility, in line with Basel requirements. Different risk parameters such as financial, business, management and industry are used for different rating models in accordance with the category and characteristics of the borrower. Qualitative and quantitative information of the proposal is evaluated by the credit risk analyst to ascertain the credit rating of the borrower.

एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के ऋण जोखिम समूह द्वारा केन्द्रीकृत रूप में की जाती है। आंतरिक ऋण रेटिंग की अभिपुष्टि के लिए उपयुक्त समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। समितियों में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोरिंग मॉडल के जरिए किया जाता है।

Proposals over a certain threshold amount are rated centrally by rating analysts of the Bank. Suitable committee based approaches followed to validate the internal credit ratings. The committee consists of senior officials of the Bank. Approval of credit for retail products are guided by the individual retail product paper guidelines and each proposal is appraised through a scoring model.

उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है।

In addition to the above, a Credit audit process is in place, which aims at reviewing the loans and acts as an effective tool to evaluate the efficacy of credit assessment, monitoring and mitigation process.

ऋण पोर्टफोलियो निगरानी / Credit Portfolio Monitoring:

आंतरिक और विनियामक सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अनुचित संकेंद्रण (उधारकर्ता या उद्योग) से बचने के लिए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। इसे उच्च प्रबंधन को आवधिक आधार पर सूचित किया जाता है।

The credit portfolio of the Bank is monitored on regular basis to ensure compliance with internal and regulatory limits as well as to avoid undue concentration (borrower or Industry). The same is periodically reported to the senior management.

इसके अलावा, आस्ति पोर्टफोलियो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने दो आयामी रणनीति अर्थात् घटना की रोकथाम और एनपीए का समाधान/ वसूली, अपनाई है। इस संबंध में बैंक की एनपीए नीति है जिसमें गहन निगरानी, लगातार अनुवर्ती कार्रवाई और उचित सक्रिय सुधारात्मक कार्रवाई योजना द्वारा मौजूदा मानक आस्तियों की गिरावट की रोकथाम और एनपीए की वसूली/ समाधान के लिए दिशानिर्देश तय किए गए हैं।

Further, to ensure high quality of the asset portfolio the Bank has adopted a two pronged strategy i.e., containment of incidence of asset slippages and resolution / recovery from NPAs. In this regard, the Bank has an NPA Policy, which sets out guidelines for restricting slippage of existing standard assets and recovery / resolution of NPA by close monitoring, constant follow-up and evolving a suitable proactive Corrective Action Plan.

अनर्जक आस्तियों की परिभाषाएं : / Definitions of non-performing assets:

बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक और अनर्जक अग्रिमों में करता है। अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है, जहां मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्त 90 से अधिक दिन से अतिदेय हो और खाता ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है। यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है। जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जमा की गई राशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है। अन्य एनपीए निम्नानुसार हैं: .

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with the extant RBI guidelines. The non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where Interest and/ or installment of principal remains overdue for more than 90 days for a term loan and the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC). 'Out of order' means if the account outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are also treated as 'out of order'. Other NPAs are as under :

- क्रय किए गए या भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हो.
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय हो.
- In respect of an agricultural loan, the interest and / or installment of principal remains overdue for two crop seasons for short duration crops and for one crop season for long duration crops.

एनपीए को आगे अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अवमानक आस्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह या इससे कम अवधि से एनपीए हो. किसी आस्ति को संदिग्ध तब माना जाता है, जब यह अवमानक आस्ति की श्रेणी में 12 माह या इससे अधिक अवधि से हो. हानि आस्ति उसे कहा जाता है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु राशि को पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया हो.

NPAs are further classified into sub-standard, doubtful and loss assets. A substandard asset is one, which has remained as NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for more than 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or by the internal / external auditors or the RBI inspection but the amount has not been written off fully.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया हो, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उचित प्रावधान करता है.

In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes provisions as per provisioning norms prescribed by RBI for depreciation in the value of investments.

क. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर, निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित अलग-अलग.

a. Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

विवरण / Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
कुल सकल ऋण एक्सपोजर* Total Gross Credit Exposures*	2,651,141.67	1,378,237.87	4,029,379.54
देशी / Domestic	2,355,677.38	1,361,628.92	3,717,306.29
विदेशी / Overseas	295,464.30	16,608.95	312,073.25

* इसमें अग्रिम, एलसी, बीजी, एलआईआर, स्वीकृतियां और अनाहरित मंजूरियां शामिल हैं

* includes advances, LCs, BGs, LERs, acceptances & undrawn sanctions

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

- ख. सकल ऋण एक्सपोजर का उद्योग प्रकार विवरण : निधि आधारित व गैर-निधि आधारित
b. Industry type distribution of Gross credit exposures- fund based and non-fund based

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

उद्योग/ Industry	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर FB Credit Exposure	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर NFB Credit Exposure	कुल ऋण एक्सपोजर Total Credit Exposure
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप / Agriculture & Allied Activities	229,765.67	2,492.02	232,257.69
सभी इंजीनियरी / All Engineering	114,350.28	164,393.25	278,743.53
विमानन / Aviation	6,614.48	9,549.32	16,163.80
मूल धातु और धातु उत्पाद / Basic Metal and Metal Products	171,642.72	148,822.72	320,465.44
पेय (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	8,165.01	267.25	8,432.26
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद / Cement and Cement Products	49,438.86	6,891.03	56,329.89
रसायन और रसायन उत्पाद Chemicals and Chemical Products	143,131.56	105,757.25	248,888.81
वाणिज्यिक रियल इस्टेट / Commercial Real Estate	36,046.74	6,781.70	42,828.43
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर / Computer Software	4,996.83	8,777.12	13,773.95
निर्माण / Construction	26,415.51	71,574.25	97,989.76
उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer Durables	62.96	0.16	63.12
शिक्षा ऋण / Education Loans	13,898.51	268.11	14,166.62
खाद्य प्रसंस्करण / Food Processing	95,299.09	22,245.20	117,544.28
रत्न एवं आभूषण / Gems and Jewellery	25,227.00	27,458.73	52,685.73
काँच और काँच के बर्तन / Glass & Glassware	1,423.70	51.03	1,474.73
आवास ऋण (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र आवास सहित) / Housing Loans (Incl priority sector housing)	292,501.90	84.69	292,586.59
इन्फ्रास्ट्रक्चर / Infrastructure	605,160.92	378,400.05	983,560.97
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद / Leather and Leather products	2,556.72	43.85	2,600.56
खनन और उत्खनन / Mining and Quarrying	62,660.83	72,599.41	135,260.24
एनबीएफसी / NBFCs	127,306.57	23,049.53	150,356.09
अन्य उद्योग / Other Industries	6,621.86	3,835.46	10,457.32
अन्य खुदरा ऋण / Other Retail Loans	41,239.65	1,735.87	42,975.52
अन्य सेवाएं / Other Services	101,136.41	77,487.51	178,623.92

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

कागज और कागज उत्पाद / Paper and Paper Products	24,186.41	4,690.27	28,876.68
पेशेवर सेवाएं / Professional services	5,564.43	247.76	5,812.19
अवशिष्ट अन्य अग्रिम Residuary other advances	26,942.44	153,143.83	180,086.27
रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद Rubber Plastic and their Products	33,822.37	7,930.66	41,753.03
टेक्सटाइल / Textiles	89,955.79	17,385.48	107,341.27
पर्यटन होटल और रेस्तराँ / Tourism Hotel and Restaurants	2,786.58	770.39	3,556.98
व्यापार / Trade	193,149.31	36,004.23	229,153.55
परिवहन परिचालक / Transport Operators	17,331.58	2,650.71	19,982.29
वाहन/ ऑटो ऋण / Vehical/ Auto Loans	10,844.54	30.86	10,875.40
वाहन, वाहन पुर्जे और यातायात उपकरण Vehicles Vehicle Parts and Transport Equipments	76,944.58	21,783.11	98,727.69
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद / Wood and Wood Products	3,949.86	1,035.08	4,984.94
सकल ऋण एक्सपोजर / Gross Credit Exposure	2,651,141.67	1,378,237.87	4,029,379.54

ग. सकल ऋण एक्सपोजर में 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले उद्योग
c. Industries having more than 5% of the Gross credit exposures

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total	%
इन्फ्रास्ट्रक्चर / Infrastructure	605,160.92	378,400.05	983,560.97	24.41%
मूल धातु और धातु उत्पाद Basic Metal and Metal Products	171,642.72	148,822.72	320,465.44	7.95%
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित) Housing Loans (Incl. priority sector housing)	292,501.90	84.69	292,586.59	7.26%
सभी इंजीनियरी / All Engineering	114,350.28	164,393.25	278,743.53	6.92%
रसायन और रसायन उत्पाद Chemicals and Chemical Products	143,131.56	105,757.25	248,888.81	6.18%
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture & Allied Activities	229,765.67	2,492.02	232,257.69	5.76%
सामान्य व्यापार General Trade	193,149.31	36,004.23	229,153.55	5.69%

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

घ. आस्तियों की बची हुई संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण
d. Residual contractual maturity breakdown of assets:

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	आस्तियां / Assets				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल आस्तियां Total Assets
दिन 1 / Day 1	25,271.43	130,004.96	17,069.23	3,802.65	176,148.27
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	158,685.71	108,112.51	27,044.78	280.93	294,123.93
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	32,507.09	29.74	23,469.64	2,356.12	58,362.59
15 से 30 दिन / 15 to 30 days	2,501.64	839.85	30,291.38	1,201.27	34,834.14
31 दिन व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	3,664.85	2,587.71	33,453.33	7,808.17	47,514.06
2 माह से अधिक व 6 माह तक Over 2 months & upto 6 months	5,681.83	3,160.74	85,163.45	5,103.01	99,109.03
3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	11,162.35	8,123.30	99,036.11	20,904.26	139,226.02
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक/ Over 6 months & upto 1 year	22,825.87	24,446.41	122,794.80	20,748.97	190,816.05
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	42,529.23	122,885.87	540,258.31	27,556.04	733,229.45
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	6,893.21	40,648.17	282,440.32	149,314.38	479,296.08
5 वर्ष से अधिक / Over 5 yrs	15,117.58	488,504.88	647,237.92	214,159.02	1,365,019.40
कुल / Total	326,840.79	929,344.14	1,908,259.27	453,234.82	3,617,679.02

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

ड. यथा 31 मार्च 2017 को अनर्जक आस्तियां :
e. Non-Performing Assets as on March 31, 2017:

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2017 को As on March 31, 2017
कुल अग्रिम / Gross Advances	2,106,097.10
निवल अग्रिम / Net Advances	1,908,259.30
यथा कुल एनपीए / Gross NPA as on	447,525.94
क. अवमानक a. Substandard	89,788.49
ख. संदिग्ध 1 b. Doubtful 1	151,474.96
ग. संदिग्ध 2 c. Doubtful 2	180,916.21
घ. संदिग्ध 3 d. Doubtful 3	13,968.19
ड. हानि e. Loss	11,378.09
एनपीए प्रावधान / NPA Provision	194,845.90
निवल एनपीए / Net NPA	252,058.00
एनपीए अनुपात / NPA Ratios	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%) / Gross NPAs to Gross Advances (%)	21.25%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	13.21%

च. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में घट-बढ़ :
f. Movement of Non-Performing Assets (NPA):

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

विवरण (सकल एनपीए) / Particulars (NPA Gross)	यथा 31 मार्च 2017 को As on March 31, 2017
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष / Opening Balance as on April 01, 2016	248,750.66
परिवर्धन / Additions	275,950.31
बट्टे खाते / Write Offs	28,681.97
कटौतियां / Reductions	48,493.06
अंतिम शेष / Closing Balances	447,525.94

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

- छ. विशिष्ट एवं सामान्य एनपीए प्रावधानों में घट-बढ़ #:
g. Movement of Specific & General NPA Provisions #:

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2017 को As on March 31, 2017
	विशिष्ट प्रावधान* Specific Provisions*
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष / Opening Balance as on April 01, 2016	101,413.60
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Add : Provision made during the period	153,578.20
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित / Less : Transfer to Countercyclical Prov Buffer	0.00
घटाएं: बट्टे खाते डाली गई राशि / Less : Write offs	28,682.00
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less : Write Back of excess provision	31,463.90
अंतिम शेष / Closing Balances	194,845.90

*प्रावधान राशि में 622.10 मिलियन की एनपीए आस्ति पर एनपीवी हानि शामिल नहीं है

*Provision amount does not include NPV loss on NPA asset of Rs. 622.10 Millions

सामान्य एनपीए प्रावधान शून्य है.

General NPA provision is Nil.

- ज. बट्टे खाते डाली गई और वसूलियाँ जो सीधे आय विवरण में बुक किए गए हैं : शून्य
h. Write-offs and recoveries that have been booked directly to the income statement: Nil
झ. यथा 31 मार्च 2017 को अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की स्थिति
i. Position of Non-Performing Investments (NPI) as on March 31, 2017

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2017 को As on March 31, 2017
अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की राशि / Amount of Non-performing Investments (NPI)	15,172.04
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि / Amount of provisions held for Non-performing Investments	11,209.60

- ज. निवेशों (बांडों और डिबेंचरों सहित) पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का घट-बढ़
j. Movement of provisions for depreciation on investments (including bonds and debentures)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2017 को As on March 31, 2017
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष / Opening Balance as on April 01, 2016	17,312.24
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	17,059.60
अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना/ प्रतिलेखन / Write offs / Write Back of excess provisions	6,551.12
अंतिम शेष / Closing Balance	27,820.72

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

ट. उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान का ब्योरा *

k. Industry Wise NPA & Provision break-up *

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2017 को As on March 31, 2017		मौजूदा अवधि के दौरान During the current Period	
	सकल एनपीए Gross NPA	विशेष प्रावधान (एनपीए) Specific Provision (NPA)	विशेष प्रावधान (एनपीए) Specific Provision (NPA)	बट्टे खाते डाले गए Write-Offs
शीर्ष 5 उद्योगों में एनपीए और किए गए विशेष प्रावधान / NPAs and Specific Provisions in Top 5 Industries	222,152.39	98,318.35	29,174.86	12,871.01

*उद्योगों में सकल ऋण एक्सपोजर के आधार पर चिह्नित उद्योग

*Industries identified based on Gross Credit Exposure to Industries

सामान्य एनपीए प्रावधान शून्य है.

General NPA provision is Nil.

ठ. एनपीए एवं प्रावधान ब्योरे की भौगोलिक स्थिति :

I. Geography based position of NPA & Provision break-up:

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2017 को As on March 31, 2017		
	देशी Domestic	विदेशी Overseas	कुल Total
सकल एनपीए / Gross NPA	382226.4	65,299.53	447525.93
एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान / Specific Provision for NPA	167854.83	26,991.03	194,845.86

सामान्य एनपीए प्रावधान शून्य है.

General NPA provision is Nil.

तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन:

Table DF-4: Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised approach

बैंक पूंजी गणना के लिए अपने एक्सपोजरों पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स, ब्रिकवर्क तथा स्मेरा और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करें.

The Bank uses the solicited ratings assigned by the external credit rating agencies specified by RBI for calculating risk weights on its exposures for capital calculations. In line with the Basel guidelines, banks are required to use the external ratings assigned by domestic credit rating agencies viz. Crisil, CARE, ICRA, India Ratings, Brickwork and SMERA and international credit rating agencies Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग तुलन-पत्र में एवं तुलन-पत्र से इतर सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंग्स पर विचार किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

The ratings assigned, are used for all eligible on balance sheet & off balance sheet exposure. Only those ratings which are publicly available and are in force as per the monthly bulletin of the rating agencies are considered.

जोखिम भारिता के प्रयोजन हेतु पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है। बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजरों के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाले एक्सपोजरों के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है।

To be eligible for risk weighting purposes, the entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

किसी कॉरपोरेट एक्सपोजर के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। जहाँ किसी कॉरपोरेट के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतम रेटिंग लागू की जाती है। 3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात् बैंकिंग बही में आस्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: The process used to assign the ratings to a corporate exposure and apply the appropriate risk weight is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where multiple external ratings are available for a given corporate, the lower rating, where there are two ratings and the second lowest rating, where there are three or more ratings is applied. The table given below gives the breakup of net outstanding amounts of assets in Banking Book and Non Fund Based Facilities after Credit Risk Mitigation in 3 major risk buckets as well as those that are deducted:

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

जोखिम-भार / Risk Weight	निवल एक्सपोजर Net Exposure
100% से कम / Less than 100%	2,488,339.28
100% पर / At 100%	831,669.81
100% से अधिक / More than 100%	557,928.48
पूँजी से कटौती / Deduction from Capital	310.98
कुल / Total	3,878,248.55

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोणों का प्रकटन

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches:

संपार्श्विक प्रतिभूति उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को प्रतिभूत करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक आस्ति या अधिकार है। ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक अपने निवेशों के प्रति संपार्श्विक प्रतिभूति लेता है। बैंक के पास संपार्श्विक प्रबंध और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में मानदंड, ऐसे संपार्श्विकों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं दी गई हैं। तुलन-पत्रीय नेटिंग उन ऋणों और जमाराशियों तक सीमित है जहां बैंक के पास अन्य निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विशिष्ट धारणाधिकार सहित वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है। यह नेटिंग उसी प्रतिपक्षकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर ऋणों के लिए है और निर्धारणीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है। बैंक के ऋण एक्सपोजरों की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है। उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण किया जाता है। बैंक द्वारा स्वीकार की जानेवाली प्रमुख पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमाराशियां, स्वर्ण, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां और विभिन्न कर्ज प्रतिभूतियां शामिल हैं। गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, स्टॉक, आदि शामिल हैं। तथापि, खुदरा पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उत्पाद के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगी और ऑटो ऋण के लिए यह वाहन होगी। अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां, जहाँ बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं जो ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं।

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

Collateral is an asset or a right provided by the borrower to the lender to secure a credit facility. To mitigate credit risk, the Bank obtains collaterals against its exposures. The Bank has a Board approved policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques, which includes norms on acceptable collaterals, procedures & processes to enable classification and valuation of such collaterals. On-Balance sheet netting is confined to loans and deposits, where the Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien in addition to other stipulated conditions. The netting is only undertaken for loans against collaterals of the same counterparty and subject to identifiable netting arrangement. Both financial as well as non-financial collaterals are used to hedge its credit exposures. Appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Cash, Bank's own deposits, Gold, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra, Insurance policies with a declared surrender value and various Debt securities. The non-financial collaterals include Land & Building, Plant & Machinery, Stock, etc. However, under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage and an automobile is a collateral for auto loan. Most of the eligible financial collaterals, where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques, are in the form of Bank's own FDs which are not subject to credit or market risk.

बैंक अपने ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गारंटियों पर भी विचार करता है। तथापि, केवल उन्हीं गारंटियों पर विचार किया जाता है जो प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट तथा बिना शर्त होती हैं। संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक डीलरों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है। बैंक अपने सामने आनेवाले ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) एक ऐसा साधन है जो पात्र वित्तीय संपाश्विक प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक इसकी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय, प्रतिपक्षी को दिए गए बैंक के ऋण एक्सपोजर को कम करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिपक्षी के ऋण एक्सपोजर को उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद पात्र वित्तीय संपाश्विक प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा समायोजित किया जाता है। मूल्य में अस्थिरता का पता लगाने के लिए मार्जिन लागू किया जाता है जिसमें एक्सपोजरों और संपाश्विक प्रतिभूति दोनों के लिए मुद्रा असंतुलन के कारण होनी वाली अस्थिरता भी शामिल है। पात्र गारंटियों के अंतर्गत पूंजी बचत का लाभ उठाने के लिए एक्सपोजर की राशि प्रतिभूत और अप्रतिभूत हिस्सों में बाँट दी जाती है। एक्सपोजर का प्रतिभूत हिस्सा गारंटीकर्ता के जोखिम भार को दर्शाता है, जबकि अप्रतिभूत हिस्सा बाध्यताधारी के जोखिम भार को दर्शाता है, बशर्ते कि बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए।

The Bank also considers guarantees for securing its exposures; however only those guarantees which are direct, explicit and unconditional are considered. Sovereigns, Public Sector Entities, Banks, Primary Dealers, Credit Guarantee fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the Basel guidelines. The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. CRM is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the value of eligible financial collateral. The credit exposure to a counter party is adjusted by the value of eligible financial collaterals after applying appropriate haircuts. The haircuts are applied to account for volatility in value, including those arising from currency mismatch for both the exposure and the collateral. For availing capital savings under eligible guarantees, the amount of exposure is divided into covered and uncovered portions. The covered portion of the exposure attracts the risk weight of guarantor, while the uncovered portion continues to attract the risk weight of the obligor subject to meeting requirements stipulated in the Basel guidelines.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक का एक्सपोजर निम्नानुसार है:
The Bank's exposures where CRM techniques were applied are as follows:

विवरण / Particulars	(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)	
	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित* Non-Fund Based *
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल एक्सपोजर Total Exposures covered by eligible financial collateral	144,987.86	214,896.83
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद एक्सपोजर Exposure after taking benefit of eligible collateral	75,650.01	163,103.67

* गैर-बाजार संबद्ध / * Non-Market Related

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां सीआरएम तकनीक के रूप में कॉर्पोरेट गारंटियों का प्रयोग किया गया वहां यथा दिनांक 31 मार्च 2017 को एक्सपोजर की राशि ₹ 27,507.60 मिलियन थी।

The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹ 27,507.60 Million as on March 31, 2017.

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन DF-6: Securitization exposure-Disclosure for Standardized Approach

गुणात्मक प्रकटन/ Qualitative Disclosures	
क. a.	बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं: The general qualitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank are as follows:
•	<p>प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य, उस सीमा सहित जहां तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग कर अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं। The Bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities.</p> <p>बैंक ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है। अतः ऋण जोखिम का अंतरण लागू नहीं है। तथापि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक ने पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी/ एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश किया है। Bank has not securitized-out any standard loans during financial year ended on March 31, 2017. Hence, transfer of credit risk is not applicable. However, in order to supplement the achievement of target in Priority Sector Lending (PSL), the Bank invested in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI.</p>

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप The nature of other risks inherent in securitized assets. 	<p>लागू नहीं क्योंकि बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकरण के लिए बाहर नहीं दिया है। Not applicable as the Bank has not securitized-out any standard loans.</p> <p>पीटीसी में निवेश के मामले में अंतिम उधारकर्ताओं से वसूली गई राशि से चुकौती की जाती है। साथ ही, रेटिंग पर आधारित रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किए अनुसार ऋण वृद्धि भी उपलब्ध है। यदि समूहों में हानियों का स्तर ऋण वृद्धि से अधिक हो जाता है, तो हानियों को बैंक द्वारा वहन किया जाता है। In case of investment in PTCs, the repayment is done out of the collections from the ultimate borrowers. Further Credit Enhancement is also available as determine by Rating Agency based on the rating. If the losses in the pool exceed level of credit enhancement, the losses are to be borne by Bank.</p>												
<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता किस सीमा तक है इसका उल्लेख; The various roles played by the Bank in the securitization process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; 	<p>बैंक ने निवेशक तथा प्रतिभूतिकरण में ऋण वृद्धि और चलनिधि सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा की है। यथा 31 मार्च 2017 तक उपर्युक्त श्रेणी में एक्सपोजर निम्नलिखित हैं: Bank has played the role of Investor, Provider of Credit Enhancement and Liquidity Facility in Securitization. The exposures in above category as on March 31, 2017 is as under:</p> <p style="text-align: right;">(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)</p> <table border="1" data-bbox="703 1025 1455 1431"> <thead> <tr> <th>क्रम Sr. No</th> <th>अदा की गई भूमिका Role played</th> <th>लेन-देनों की संख्या No. of transactions</th> <th>अंतर्निहित राशि Amount involved</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>निवेशक (बकाया) Investor (o/s)</td> <td>55</td> <td>30163.16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा / चलनिधि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility/ Liquidity Facility)</td> <td>19</td> <td>938.30</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम Sr. No	अदा की गई भूमिका Role played	लेन-देनों की संख्या No. of transactions	अंतर्निहित राशि Amount involved	1	निवेशक (बकाया) Investor (o/s)	55	30163.16	2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा / चलनिधि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility/ Liquidity Facility)	19	938.30
क्रम Sr. No	अदा की गई भूमिका Role played	लेन-देनों की संख्या No. of transactions	अंतर्निहित राशि Amount involved										
1	निवेशक (बकाया) Investor (o/s)	55	30163.16										
2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा / चलनिधि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility/ Liquidity Facility)	19	938.30										
<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण. a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures. 	<p>बैंक ऋण नीति के अनुसार वसूली निष्पादन, चुकौती तथा समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि का उपयोग, मार्क-टु-मार्केट, प्रतिभूतिकरण के निवेशित पोर्टफोलियो में पूल की समुचित सावधानी और समीक्षा रेटिंग की आवधिक निगरानी करता है। Bank periodically monitors the collection performance, repayments, and prepayments, utilization of Credit Enhancement, Mark to Market, due diligence and rating review of the pools in invested portfolio of Securitization as per Credit Policy.</p>												

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के अंतर्गत प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण: a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures; 	<p>बैंक रिजर्व बैंक के दिनांक 7 मई 2012 एवं 21 अगस्त 2012 के परिपत्र में वर्णित अनुसार प्रतिभूतिकृत कागजात/ पीटीसी में निवेशों पर रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत आस्तियां अर्जित करता है.</p> <p>The Bank follows extant RBI guidelines on Investment in securitized papers/ PTCs as outlined in RBI circular dated May 07, 2012 and August 21, 2012. The Bank acquires securitized assets with adequate Credit Enhancement as stipulated by the rating agencies.</p>
ख b	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश जिसमें, निम्नलिखित शामिल हैं: Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:	
	<ul style="list-style-type: none"> लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण; whether the transactions are treated as sales or financings; 	<p>बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है. तथापि इसने एनबीएफसी/एमएफआई से लेनदारियों के अर्जन के माध्यम से निवेश किया है जिसे बैंक की बहियों में निवेश माना जाता है.</p> <p>Bank has not securitized any standard loans. However it has invested through acquisition of receivables from NBFC/MFI which is treated as investments in the books of bank.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित) methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased 	<p>प्रतिभूतिकृत कागजात/ पीटीसी में बैंक के निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उक्त का मूल्यांकन रिजर्व बैंक/ एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.</p> <p>The Bank's Investment in securitized papers/ PTCs are categorized under Available For Sale category and valuation of the same has been carried out as per RBI/ FIMMDA guideline.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव; changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; 	<p>कोई बदलाव नहीं No change</p>
	<ul style="list-style-type: none"> उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं. policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets. 	<p>बैंक के पास आज की तारीख में कोई प्रत्यक्ष प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर नहीं है. तथापि, अन्य बैंकों द्वारा किए गए पीटीसी लेन-देनों के लिए ऋण संवर्धन के रूप में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंक गारंटी (बीजी) को बैंक की बही में आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया जाता है और तदनुसार लेखांकन कार्रवाई की जाती है.</p> <p>The bank has no direct securitized exposure as on date. However, the Bank Guarantee (BG) provided by the Bank as credit enhancement for PTC transactions, carried out by other banks, are recognized as contingent liabilities in Bank's book and accounting treatment is given accordingly.</p>

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

ग) c)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है। In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) used for securitization and the types of securitization exposure for which each agency is used.	पीटीसी के अधिग्रहण के माध्यम से बैंक द्वारा अर्जित ऋणों की क्रिसिल, केयर, इक्रा तथा इंडिया रेटिंग्स द्वारा बाह्य रूप से रेटिंग की जाती है। The loans acquired by Bank through acquisition of PTCs are externally rated by CRISIL, CARE, ICRA, India Ratings.
----------	---	---

बैंकिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :

Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Banking book are as follows:

घ) d)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि The total amount of exposures securitized by the bank	द्वितीय हानि सुविधा के प्रति जारी ₹ 826.70 मिलियन की बैंक गारंटी और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए प्रदान की गई चलनिधि सुविधा के रूप में ₹ 111.60 मिलियन की निधि आधारित सुविधा को बैंक के प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के रूप में माना गया है। Bank Guarantee of ₹ 826.70 Million issued towards Second loss facility and Fund Based Facility of ₹ 111.60 Million as Liquidity Facility for PTC transactions is considered as securitized exposure of Bank.
ङ) e)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के लिए, एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा अभिनिर्धारित हानि For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type.	शून्य Nil
च) f)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि Amount of assets intended to be securitized within a year	शून्य Nil
छ) g)	इनमें से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के भीतर उत्पन्न हुई आस्तियों की राशि। Of the above, the amount of assets originated within a year before securitization.	लागू नहीं Not Applicable
ज) h)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार) और एक्सपोजर प्रकार के अनुसार बिक्री पर नहीं माने गए अभिलाभ या हानि। The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	शून्य Nil

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

<p>झ) i)</p>	<p>निम्न की कुल राशि : Aggregate amount of:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में शामिल किए गए विभक्त खरीदे गए या प्रतिधारित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and 	<p>पीटीसी लेन-देनों के लिए चलनिधि सुविधा के रूप में ₹ 111.60 मिलियन की निधि आधारित सुविधा को बैंक के प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के रूप में माना जाता है. Fund Based Facility of ₹ 111.60 Million as Liquidity Facility for PTC transactions is considered as securitized exposure of Bank.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजरों के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type 	<p>पीटीसी लेन-देनों के लिए द्वितीय हानि सुविधा के प्रति जारी ₹ 826.70 मिलियन की बैंक गारंटी को बैंक के प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के रूप में माना जाता है. Bank Guarantee of ₹ 826.70 Million issued towards Second loss facility for PTC transactions is considered as securitized exposure of Bank.</p>
<p>ज) i)</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, एक्सपोजरों में विभक्त और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार दायरे में पुनः विभक्त Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach 	<p>शून्य Nil</p>
	<ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर जिन्हें टियर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत (आई/ओ) और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital. 	<p>शून्य Nil</p>

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

ट्रेडिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :
Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Trading book are as follows:

<p>ट) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं.</p> <p>k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.</p>		<p>बैंक द्वारा कोई मानक ऋण प्रतिभूतिकृत नहीं किया गया है. No standard loans have been securitized by Bank.</p>
<p>ठ) निम्न की कुल राशि : l) Aggregate amount of:</p>		
<p>• एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर; तथा on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and</p>	<p>• एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. Off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.</p>	<p>बैंक ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पास-थ्रू-सर्टिफिकेटों (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी/ एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश किया है - बकाया ₹14326.17 मिलियन (अधिग्रहित राशि - ₹ 20928.90 मिलियन) The Bank has invested in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI during financial year ended March 31, 2017 - Outstanding - ₹ 14326.17 Million (Acquired amount - ₹ 20928.90 Million). यथा 31 मार्च 2017 को कुल बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 30163.16 मिलियन था. The total outstanding PTC portfolio as on March 31, 2017 was ₹ 30163.16 Million.</p>
<p>ड) निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि : m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:</p>		<p>शून्य Nil</p>

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

	<ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर; तथा securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and 	<p>शून्य Nil</p>																				
	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. Securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands. 	<p>यथा 31 मार्च 2017 को कुल बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 30163.16 मिलियन था. The total outstanding PTC portfolio as on March 31, 2017 was ₹ 30163.16 Million.</p>																				
<p>ढ) n)</p>	<p>निम्न की कुल राशि : Aggregate amount of:</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के लिए पूंजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन. the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands. 	<p style="text-align: right;">(₹ मिलियन / ₹ Million)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">सुविधा Facility</th> <th style="text-align: center;">100% सीसीआर पर राशि Amt. At 100% CCR</th> <th style="text-align: center;">रेटिंग Rating</th> <th style="text-align: center;">जोखिम भार Risk Weight</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बकाया निवेश Investment</td> <td style="text-align: right;">3777.42</td> <td style="text-align: center;">AAA</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> <tr> <td>Outstanding</td> <td style="text-align: right;">16237.03</td> <td style="text-align: center;">AA</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">5923.44</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4225.27</td> <td style="text-align: center;">BBB</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	सुविधा Facility	100% सीसीआर पर राशि Amt. At 100% CCR	रेटिंग Rating	जोखिम भार Risk Weight	बकाया निवेश Investment	3777.42	AAA	20%	Outstanding	16237.03	AA	30%		5923.44	A	50%		4225.27	BBB	100%
सुविधा Facility	100% सीसीआर पर राशि Amt. At 100% CCR	रेटिंग Rating	जोखिम भार Risk Weight																			
बकाया निवेश Investment	3777.42	AAA	20%																			
Outstanding	16237.03	AA	30%																			
	5923.44	A	50%																			
	4225.27	BBB	100%																			
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जिन्हें टियर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी आई/ओ और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital. 	<p>शून्य Nil</p>																				

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

डीएफ-7: व्यापार बही में बाजार जोखिम : Table DF-7: Market Risk in Trading Book

बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ब्याज दरों, इक्विटी दरों, विनिमय दरों और पण्य दरों में उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि का जोखिम बाजार जोखिम है। बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से किए जाने वाले कारोबारी कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बैंक अपनी समग्र जोखिम प्रबंध व्यवस्था के अभिन्न भाग के रूप में इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय ऋण सहायता की निगरानी व प्रबंधन करता है। यह प्रणाली वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों के धन पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास करती है।

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity prices, exchange rates and commodity prices, as well as volatilities therein. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system. The system takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and strives to minimize any adverse impact on the shareholders' wealth.

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं। इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुसार किए जाते हैं और ये वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं। प्रक्रिया एवं उत्पाद नवोन्मेषों के अलावा कारोबार आवश्यकताओं, आर्थिक परिवेश और कानूनों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

The Bank has formulated an Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk and Derivative Policy and an Investment Policy all of which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. These policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. These policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and changes in regulations in addition to process and product innovations.

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक शामिल हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके। एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाजार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है। ब्याज दरों में घट-बढ़ से बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर पड़ने वाले प्रभाव के जरिए ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण का आकलन किया जाता है।

The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meet regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of risks viz. liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis is measured through impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) of the Bank.

बैंक बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति के माध्यम से ऐसे ट्रेडिंग जोखिमों की पहचान करता है, जिनका प्रबंधन किया जाना हो। इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है। बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, पीवी 01, संशोधित अवधि, हानि रोक, ग्रीक लिमिट्स, संभाव्य भावी एक्सपोजर सहायता, दबाव परीक्षण आदि शामिल हैं।

The Market Risk and Derivative Policy identifies the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure, tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The important risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, PV01, modified duration, Stop loss, Greek limits, Potential Future Exposure, stress testing etc.

निवेश नीति बाजार उतार-चढ़ाव और रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। निवेश नीति में लिखतों में निवेश, ऐसे निवेशों का उद्देश्य तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

The Investment policy has been framed keeping in view market dynamics and various circulars issued by RBI in this regard. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

बैंक अपने बाजार जोखिम का निम्न व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है:

The Bank manages its market risk with the broad objectives of:

1. निवेशों, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम व इक्विटी जोखिम का प्रबंधन.
Management of interest rate risk, currency risk and equity risk arising from investments, foreign exchange and derivatives portfolio.
2. विभिन्न पोर्टफोलियो में लेन-देनों के संबंध में उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन व लेखांकन.
Proper classification, valuation and accounting of the transactions in various portfolios;
3. डेरिवेटिव, निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय उत्पादों से संबंधित लेन-देनों की पर्याप्त व उचित रिपोर्टिंग.
Adequate and proper reporting of the transactions related to derivative, investment and foreign exchange products;
4. बाजार से संबंधित लेन-देनों के परिचालन व निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण.
Effective control over the operation and execution of market related transactions; and
5. विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन.
Compliance with regulatory requirements.

बैंक में अलग से एक बाजार जोखिम समूह (एमआरजी)/ मध्यम कार्यालय है, जोकि ट्रेजरी परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए और अपवाद की स्थितियों, यदि कोई हों, की जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। यह समूह बाजार जोखिम को मापने के लिए नीतियों व पद्धतियों में परिवर्तन की भी सिफारिश करता है। इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

The Bank has an independent Market Risk Group (MRG)/Middle Office which is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations and to highlight exceptions, if any. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are:-

1. प्रत्यायोजन: ट्रेजरी परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है। निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति के पास निहित हैं। एमआरजी संबंधित नीतियों में निर्धारित विभिन्न ऋण सीमाओं की निगरानी करता है।
Delegation: Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors various limits, which have been laid down in the policies.
2. नियंत्रण: सिस्टम में पर्याप्त डेटा एकीकरण आधारित नियंत्रण मौजूद है। इन नियंत्रणों का प्रयोग लेखा परीक्षा के लिए भी किया जाता है।
Controls: The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose as well.
3. अपवाद संचालन प्रक्रिया: नीतियों के अंतर्गत तय की गई ऋण सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे अपवादों को न्यूनतम रखने हेतु लागू किया जा रहा है। ऋण सीमाओं के उल्लंघन/ अपवाद, यदि कोई हो, का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्यायोजित प्राधिकारियों से अभिपुष्ट कराया जाता है।
Exception handling processes: The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are analyzed and ratified from the delegated authorities.

एमआरजी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समितियों के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है। बैंक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार विनियामकों को भी रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स के संबंध में सीमाएं निर्धारित की जाती हैं जिनकी आवधिक आधार पर निगरानी की जाती है।

The MRG periodically reports on forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

31 मार्च 2017 को बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन Aggregation of capital charge for market risks as on March 31, 2017

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

	जोखिम श्रेणी Risk Category	पूंजी प्रभार Capital charge
क	जोखिम विशेष के कारण पूंजी प्रभार	
a.	Capital Charge on account of specific risk	7316.95
i)	ब्याज दर संबंधी / On interest rate related	2204.40
ii)	इक्विटी पर / On equities	5112.56
iii)	डेरिवेटिव पर / On derivatives	0.00
ख	सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूंजी प्रभार	
b.	Capital charge on account of general market risk	8830.38
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related instruments	6519.87
ii)	इक्विटी पर / On equities	2028.56
iii)	विदेशी मुद्रा पर / On Foreign exchange	270.00
iv)	बहुमूल्य धातुओं पर / On precious metals	0.00
v)	डेरिवेटिव पर (फॉरेक्स विकल्प)/ On derivatives (FX Options)	11.95
	व्यापारिक बही पर कुल पूंजी प्रभार (क + ख)	16147.33
	Total Capital Charge on Trading Book (a+b)	16147.33
	व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित आस्तियां	201841.60
	Total Risk Weighted Assets on Trading Book	201841.60

तालिका डीएफ-8: परिचालनगत जोखिम

Table DF-8: Operational Risk

परिचालनगत जोखिम का अर्थ हानि का जोखिम है जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों और पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर बाहरी घटनाओं के प्रभाव के कारण होता है। इसमें विधिक जोखिम तो शामिल हैं, किन्तु रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people & systems or from external events inherent in Bank's business activities. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संरचना

Operational Risk Management Framework

बैंक के पास सुपरिभाषित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों में निहित परिचालन जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना तथा इन जोखिमों की निगरानी और इन्हें कम करने के लिए क्षमताओं, साधनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास करना है।

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Policy in place. The main objectives of the policy are identification and assessment of operational risks attached to banking activities and developing capabilities, tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना है और इसने परिचालनगत जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से युक्त एक समर्थकारी संगठनात्मक संरचना की स्थापना की है। परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों पर समीक्षा रिपोर्टें ओआरएमसी एवं बोर्ड की आरएमसी को आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं।

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework and has also established an enabling organizational structure comprising Board of Directors, Risk Management Committee (RMC) of the Board and Operational Risk Management Committee (ORMC) for effective management of Operational Risk. Review reports on Operational Risk management activities are periodically presented to ORMC and RMC of the Board.

उन्नत मापन दृष्टिकोण में अंतरण के लिए बैंक की पहल

Bank's initiative in migrating to Advanced Measurement Approach (AMA)

वर्तमान में, बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का अनुसरण कर रहा है। तथापि, उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में आशयित अंतरण के एक हिस्से के रूप में बैंक अपनी परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए समयबद्ध तरीके से संगठित प्रयास कर रहा है। इस संबंध में बैंक ने बैंक के भीतर परिचालनगत जोखिमों के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए प्रमुख उन्नत मापन दृष्टिकोण तत्त्व यथा- मुख्य जोखिम सूचक तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया है। बैंक ने परिचालनगत जोखिमों के प्रबंधन के लिए व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकन प्रणाली (कोर) की व्यवस्था की है। बैंक कोर प्रणाली के जरिए परिचालनगत हानि संबंधी आंकड़ों का नियमित रूप से संग्रहण कर रहा है तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन हानियों को विभिन्न कारोबारी शृंखलाओं तथा हानि प्रकारों के तहत वर्गीकृत कर रहा है। बैंक ने कम आवृत्ति और उच्च गंभीरता वाली हानि घटनाओं से जुड़े अपने एक्सपोजर के मूल्यांकन हेतु परिदृश्य के निर्माण और विश्लेषण के लिए परिदृश्य विश्लेषण ढांचा भी स्थापित किया है। परिदृश्य विश्लेषण ढांचे के अनुसार परिदृश्य विश्लेषण के जरिए बैंक के भीतर होनेवाली परिचालनगत जोखिम घटनाओं के लिए दबाव परीक्षण भी किए जाते हैं। बैंक अपने स्वयं की आंतरिक हानि के अनुभवों और उपयुक्त बाह्य आंकड़ों के आधार पर परिदृश्यों का इस प्रकार से पता लगाता है ताकि सभी भौतिक जोखिमों की जानकारी प्राप्त हो सके। परिदृश्य कार्यशालाओं के परिणाम को परिचालन जोखिम प्रबंध समिति के समक्ष उनके निर्देशों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। परिचालनगत जोखिम माप और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा/ प्रणाली को अभिपुष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम स्तरीय सुरक्षा को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए परिचालनगत स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों को निरंतर जागस्क करने हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

At present, the Bank is following the Basic Indicator Approach for computation of capital charge for Operational Risk. However, as a part of intended migration to AMA, the Bank is putting concerted efforts to further improve its Operational Risk management system & procedures. In this regard, the Bank has framed and implemented key AMA elements viz. Key Risk Indicator and Risk & Control Self-Assessment frameworks, for assessment & monitoring of operational risks. Further, the Bank has procured Comprehensive Operational Risk Evaluator system (CORE) for management of operational risks. The Bank has been collecting operational risk loss data through CORE system and categorizing into various business lines and loss event types in accordance with the RBI guidelines. The Bank has also put in place a Scenario Analysis Framework for generation and analysis of scenario to evaluate its exposure to Low Frequency High-Severity loss events. Stress testing for operational risk events within the Bank is conducted by way of Scenario analysis in accordance with the Scenario Analysis framework. The Bank identifies scenarios based on its own internal loss experiences and relevant external data, with the aim to capture all material operational risks. The outcome of Scenario workshops is placed before Operational Risk Management Committee for their directions. The validation of Operational Risk Measurement and Operational Risk Management Frameworks/ systems is under progress. Training programmes on Operational Risk Management are regularly conducted for continued sensitization of officers, working at operational level, to strengthen the first line of defense.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) के अनुपालन हेतु बैंक के पहल कार्य

Bank's initiatives for implementation of Business Continuity Management (BCM)

मानव जीवन एवं बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा व्यवधान/ आपदा के दौरान निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अपने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक सुपरिभाषित बीसीएम व्यवस्था लागू की है, जो विनियामक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

In order to safeguard the human life & Bank's assets and to ensure continuity in banking services during disruption/ disaster, the Bank has put in place a well-defined BCM for its various critical functions, which also fulfills regulatory requirements.

बीसीएम में कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) शामिल हैं। इन बीसीएम दस्तावेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार व्यवधान/ आपदा की स्थिति में तौर-तरीके और परिणामी सुधार रणनीतियाँ, योजनाएँ शामिल हैं। व्यवधान की विभिन्न स्थितियों में इन योजनाओं की आघात सहनीयता का प्रायोगिक अभ्यास, आपदा प्रबंधन अभ्यास, महत्वपूर्ण आईटी एप्लिकेशनों के लिए समग्र आपदा प्रबंधन अभ्यास और बीसीपी परीक्षण अभ्यासों के जरिए निरंतर परीक्षण किया जाता है। बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301 :2012 अनुपालक है। एक सशक्त और प्रभावी बीसीएम के जरिए बैंक को अपनी सेवा में निरंतरता और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में सुविधा होगी। प्रणाली की असफलता के जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने चेन्नई में एक आपदा प्रबंधन (डीआर) साइट तथा मुंबई के समीप भी डीआर साइट की स्थापना की है। बैंक आपदा प्रबंधन साइट की क्षमता परीक्षण के लिए आवधिक रूप से आपदा प्रबंधन ड्रिल अभ्यासों का आयोजन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आइ-डीएबी के माध्यम से व्यवधान संबंधी घटनाओं एवं बीसीएम कार्यकलापों की रिपोर्टिंग स्वचालित कर दी गई है।

BCM comprises Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP). These BCM documents, inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption/disaster and consequent recovery strategies & plans. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an ongoing basis through mock evacuation drills, DR drills, Holistic DR Drill for critical IT applications and BCP testing exercises. Moreover, Bank's Business Continuity Management System (BCMS) is ISO22301:2012 compliant. A robust and effective BCM enables the Bank to provide uninterrupted services and facilitate customer satisfaction. To mitigate the risk of system failure, the Bank has set up a Disaster Recovery (DR) site at Chennai & a near DR site at Mumbai. The Bank periodically carries out DR drill exercises to test the capabilities of DR site. Reporting of any disruption incident & BCM activities is automated through the application software i-DaB.

तालिका डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है। ब्याज दर में सामान्य परिवर्तन के अलावा विभिन्न उत्पादों/ लिखतों में ब्याज दरों में घट-बढ़ (अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर, अग्रिमों पर उधार दर आदि,) भी ब्याज दर जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं। ब्याज दरों में परिवर्तन से निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाकर) में घट-बढ़ के माध्यम से बैंक के अर्जन पर तथा इसके साथ ही आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में निवल अंतर के माध्यम से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी असर पड़ता है। अर्जन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन की मात्रा मुख्यतः परिपक्वता के स्वरूप तथा परिमाण और बैंक की आस्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यन असंतुलन पर निर्भर करती है।

IRRBB refers to the potential impact on the Bank's earnings and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates. Besides the general change in interest rate, variation in the magnitude of interest rate change among the different products/ instruments (e.g., yield on Government securities, interest rate on term deposits, lending rate on advances etc.,) it is also a significant source of interest rate risk. Changes in interest rates affect the Bank's earning through variation in its Net Interest Income (Interest Income minus Interest Expenses) as well as economic value of equity through net variation in economic value of assets and liabilities. The extent of change in earning and economic value of equity primarily depends on the nature and magnitude of maturity and re-pricing mismatches between the Bank's assets and liabilities.

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के महत्व को समझते हुए बैंक ने एक उचित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली तैयार की है, जिसमें रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति, प्रक्रियाएँ तथा ऋण सीमा संरचना शामिल हैं। ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम के स्रोतों की पहचान करना और उपयुक्त पद्धतियों के अनुसार उनका परिमाण मापना है। इसमें समग्र ढांचे के भीतर परिपक्वता संरचना, मूल्यन, उत्पाद व ग्राहक समूह मिश्र के संबंध में उचित निधीयन, उधार और तुलन-पत्र से परे रणनीतियाँ भी शामिल हैं। आईआरआरबीबी के लिए बैंक का सहनशीलता स्तर निवल ब्याज आय और इक्विटी में आर्थिक मूल्य पर भावी प्रभाव के संबंध में विनिर्दिष्ट

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

किया गया है। ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) जोखिम के मापन, निगरानी व जोखिम नियंत्रण पहल कार्य के लिए उत्तरदायी है। तुलन-पत्र प्रबंधन समूह (बीएसएमजी) एएलएम असंतुलन के बारे में नियमित रूप से आकलन और निगरानी करता है और इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए आल्को को रणनीति की सिफारिश करता है। दैनिक आधार पर एएलएम रिपोर्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली स्थापित की गई है।

Recognizing the importance of interest rate risk management, the Bank has put in place an appropriate ALM system which incorporates the Board approved interest rate risk management policy, procedures and limit structure in line with the RBI guidelines. The objectives of interest rate risk management are to identify the sources of risks and to measure their magnitude in terms of appropriate methods. It also includes appropriate funding, lending and off-balance sheet strategies with respect to maturity structure, pricing, product and customer group mix within the overall framework. The Bank's tolerance level for IRRBB is specified in terms of potential impact of net interest income and economic value of equity. The Asset Liability Committee (ALCO) of the Bank is responsible to ensure regular measurement, monitoring and control initiatives for the Bank's interest rate risk management. Balance Sheet Management Group (BSMG) regularly measures and monitors ALM mismatches and reports to ALCO for deciding on strategies for effective management. Adequate information system has also been put in place for system based ALM report generation on a daily basis.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों के मापन व निगरानी का कार्य ब्याज दर संवेदनशीलता (मूल्य का पुनर्निर्धारण) अंतर, अवधि अंतर पद्धतियों द्वारा तथा अर्जन (निवल ब्याज आय पर प्रभाव) एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव) जैसे दोनों ही परिदृश्य आधारित विश्लेषणों के जरिए किया जाता है। ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट की तैयारी करते समय विभिन्न मूल्य-समूह की ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील आस्तियों व देयताओं को उनकी परिपक्वता की शेष रही अवधि या मूल्य पुनर्निर्धारण की अगली तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर रखा जाता है। इस रिपोर्ट के लिए अपनाई जानेवाली धारणाओं में मूल बचत बैंक जमाशियों तथा मूल चालू खाता जमाशियों को “1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक” के समूह में डालना तथा बीपीएलआर या आधार दर से संबद्ध अग्रिमों को “3 माह से अधिक - 6 माह तक” के समूह में डालना है, क्योंकि इन आस्तियों व देयताओं के मूल्य के पुनर्निर्धारण की कोई पूर्व-विनिर्दिष्ट तारीख नहीं होती। अवधि अंतर विश्लेषण ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील आस्तियों व देयताओं की अवधि व भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर किया जाता है। परिदृश्य विश्लेषण निवल ब्याज आय तथा विभिन्न ब्याज दर परिदृश्य के अंतर्गत पूंजी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है।

Measurement and monitoring of IRRBB are carried out through the methods of Interest Rate Sensitivity (repricing) gap, Duration gap and Scenario based analysis covering both earning (impact on net interest income) and economic value perspective (impact on economic value of equity). Preparation of interest rate sensitivity gap report involves bucketing of all interest rate sensitive assets and liabilities into different time buckets based on their respective remaining term to maturity or next repricing date, whichever is earlier. Assumptions made for this report are for bucketing of core current and saving bank deposits into “over 1 year to 3 years” and advances linked to BPLR or Base Rate into “over 3 months – 6 months” as these liabilities and assets do not have prior-specified re-pricing date. Duration gap analysis is undertaken based on computation of duration and present value of future cash flows of the interest rate sensitive assets and liabilities. Scenario analysis is carried out to measure impact on net interest income and economic value of capital under different interest rate scenario.

एल्को ब्याज दर जोखिम एक्सपोजरों की नियमित रूप से निगरानी करती है तथा जमाशियों व अग्रिमों की संरचना व वृद्धि, जमाशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव / निर्देश देती है, ताकि निर्धारित आंतरिक सीमाओं के भीतर ही आईआरआरबीबी का प्रबंधन किया जा सके। ब्याज दर जोखिम की स्थिति से नियमित रूप से बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति तथा रिजर्व बैंक को अवगत कराया जाता है।

ALCO regularly monitors the interest rate risk exposures and suggests appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control IRRBB within the prescribed internal limits. Interest rate risk position is periodically reported to RMC of the Board and RBI.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता (जोखिम पर अर्जन) (समयावधि : 1 वर्ष) Sensitivity of Net Interest Income to Interest rate change (Earning at Risk) (Time Horizon: 1 year)	ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) की संवेदनशीलता (जोखिम पर आर्थिक मूल्य) Sensitivity of Economic Value of Equity (EVE) to Interest rate change (Economic Value at Risk)
एनआईआई पर प्रभाव / Impact on NII	ईवीई पर प्रभाव / Impact on EVE
2,910.12	7,802.02

तालिका डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटन Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

बैंक में किसी आस्ति के संबंध में प्रतिपक्षकार के साथ जोखिम आकलन को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों सुविधाओं को शामिल किया जाता है। ऋण नीति, प्रतिपक्षकार बैंक नीति, बाजार जोखिम व डेरिवेटिव नीति, निवेश नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति एवं देश जोखिम नीति के रूप में समुचित नीतिगत संरचना बनाई गई है, जोकि प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है। विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति के तहत बैंक की पूंजी निधि में एकल उधारकर्ता और किसी समूह के ऋण के संबंध में प्रतिपक्षकार ऋण सहायता सीमाओं की विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की गई है। साथ ही, बैंक की निवल मालियत, कुल वचनबद्ध सहायता राशियों (टीसीई), कुल बकाया सहायता राशियों, अग्रिमों आदि के संबंध में भी विभिन्न आंतरिक प्रावधानों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया है। पूंजी बाजार खंड पर लागू विनियामक मानदंडों के साथ-साथ खंडगत सीमाओं के रूप में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में बैंक द्वारा सीसीआर पर पूंजी की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर तथा बासेल III के अंतर्गत विनियमों के अनुसार की जा रही है।

The Bank follows a structured process to ascertain the credit risk of an asset relationship with a counter-party covering both fund based and non-fund based facilities. Suitable policy frameworks are put in place in the form of Credit policy, Counterparty-Bank Policy, Market Risk & Derivative Policy, Investment Policy, Collateral Management Policy and Country Risk Policy which outline the guiding principles to manage Counterparty Credit Risk (CCR). In line with regulatory guidelines, the Credit policy of the Bank stipulates broad contours of counterparty credit exposure limits in respect of single borrower and borrowings by a group in relation to the Bank's capital fund. In addition, various internal thresholds are stipulated prudentially in relation to Net Worth, Total Committed Exposures (TCE), Total Outstanding exposure, Advances etc. Prudential limits in the form of sectoral limits are also stipulated in addition to applicable regulatory norms on the capital market segment. Currently, the Bank is computing capital on CCR following the standardized approach and adhering to regulations under Basel III.

बैंक के व्यापक रेटिंग मॉड्यूल में कई रेटिंग मॉडल शामिल हैं, जो प्रतिपक्षकार की आंतरिक ऋण रेटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। लागू शर्तों एवं निबंधनों के साथ ग्राहक की उपयुक्तता और अनुकूलता के संबंध में उत्पाद विशिष्ट दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। बैंक में चुनिन्दा प्रतिपक्षकार बैंकों के साथ एक ऋण सहायता एनेक्स (सीएसए) व्यवस्था भी है। सीएसए उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए डेरिवेटिव प्रतिपक्षों में अंतरित किया जाता है। संपार्श्विक प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों के समग्र कार्य-पहलुओं को इसके स्वीकार करने से लेकर जख्मत के समय इसकी विधिक

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

प्रयोज्यता की प्रक्रिया तक को कवर किया जाता है. ऋण रिजर्व तैयार करने के लिए बैंक कई प्रकार की वैकल्पिक तकनीकों को संपोषित करता है, जिनमें एस्करो तंत्र व इस पर प्रभार लगाना, ऋण चुकौती रिजर्व खाते (डीएसआरए) को सक्रिय करना, बैंक के पास जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार लगाना, उच्च मार्जिन की शर्तें लगाना, वैयक्तिक एवं तृतीय पक्ष की गारंटी प्राप्त करना आदि शामिल हैं. बैंक ऋण फिल्टर मानकों और उत्पाद संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा गलत जोखिम सहायता के मामलों को पकड़ता है. ऋण डेरिवेटिव हेज का कल्पित मूल्य और विभिन्न प्रकार के एक्सपोजरों के जरिए वर्तमान ऋण एक्सपोजरों का विवरण:

The Bank's rating module, encompassing various rating models, supports internal credit rating of counter-party. Product specific guidelines are also defined in terms of customer suitability and appropriateness along with applicable terms and conditions. The Bank also has a Credit Support Annex (CSA) arrangement with select counter-party banks. CSA defines the terms under which collateral is transferred between derivative counterparties to mitigate the credit risk arising from derivative positions. The process of Collateral Management covers the entire gamut of activities right from its acceptability to its legal enforceability at the time of need. In establishing credit reserve, the Bank caters to various alternative techniques including escrow mechanism and charges thereon, activating Debt Service Reserve Account (DSRA), lien mark on deposits with the Bank, stipulating conditions towards higher margin, obtaining personal and third party guarantee etc. Credit filtering standards and product guidelines of the Bank capture the associated wrong way risk exposure. The notional value of credit derivative hedges and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure:

(राशि ₹ मिलियन में / Amt. in ₹ Million)

डेरिवेटिव Derivatives	आनुमानिक Notional	वर्तमान एक्सपोजर Current Exposure
ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	303,955.91	4,446.90
मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	83,093.80	14,119.96
मुद्रा विकल्प / Currency Options	72,351.54	5,314.27
वायदा / Forwards	598,179.11	30,031.71

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन

Table DF-11: Composition of Capital

भाग II: 31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त होने वाला टेम्पलेट (अर्थात् बासेल III विनियामक समायोजनों के संक्रमण काल के दौरान)
Part II: Template to be used before March 31, 2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	सामान्य शेयर पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	143,603.45	ए=ए1+बी2 A=A1+B2
2	प्रतिधारित उपार्जन / Retained earnings	-80,781.25	बी6 / B6
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	130,055.03	बी3+बी4+बी5 +ई2 B3 + B4 + B5 + E2
4	सीईटी 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी (केवल गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 capital (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
	आबंटन के लंबित होने के कारण सीईटी 1 के रूप में अनुमत शेयर आवेदन राशि Share application money allowed as CET1, pending allotment	19,000.00	
6	विनियामक कटौती पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी CET1 capital before regulatory deductions	211,877.23	बी1/B1

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन / Prudential valuation adjustments	-	
8	साख (संबद्ध आस्थगित कर देयता को घटाकर) Goodwill (net of associated deferred tax liability)	-	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों के अलावा अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता को घटाकर) Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	147.87	एफ / F
10	आस्थगित कर आस्तियां / Deferred tax assets	241.26	जी / G
11	नकदी-प्रवाह हेज रिज़र्व / Cash flow hedge reserve	-	
12	प्रत्याशित हानियों की तुलना में प्रावधानों में कमी Shortfall of provisions to expected losses	-	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ / Securitisation gain on sale	-	
14	उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अभिलाभ एवं हानियाँ Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	
15	सुनिश्चित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां Defined benefit pension fund net assets	-	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि प्रदत्त पूंजी पहले रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में समंजित न की गई हो) Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-	
17	सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in CET1 capital instruments	1,217.48	
	बैंकों की समायोजित सीईटी1 पूंजी के 10% तक सीईटी 1 पूंजी का डीटीए निर्धारण DTA recognition in CET 1 capital upto 10% of banks adjusted CET 1 Capital	21,027.06	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
18 ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय स्थितियों को घटाकर, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		-	
19 वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऐसी सीईटी 1 पूंजी लिखतों में उल्लेखनीय पूंजी निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (10 % की प्रारंभिक राशि से अधिक) Significant capital investments in CET1 capital instruments issued by financial sector entities that are outside the scope of regulatory consolidation (amount above 10% threshold)		-	
20 बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		-	
21 अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक, संबंधित कर देयता को घटाकर) Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	75,960.14		जी / G
22 15% की प्रारंभिक सीमा से ऊपर की राशि Amount exceeding the 15% threshold			
23 इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश of which: significant investments in the common stock of financial sector entities			
24 इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार of which: mortgage servicing rights			
25 इसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां of which: deferred tax assets arising from temporary differences	75,960.14		
26 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ) Nationalspecificregulatoryadjustments(26a+26b+26c+26d)	310.98		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
26क/a	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-	
26ख/b	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायक संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	310.98	
26ग/c	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
26घ/d	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय of which: Unamortised pension funds expenditures	-	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-	
28	सीईटी 1 पूंजी में की गई कुल विनियामक कटौती Total regulatory deductions to CET1 capital	56,850.67	
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1) Common Equity Tier 1 capital (CET1)	155,026.56	
एटी 1 पूंजी : लिखत / AT1 capital: instruments			
30	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से जारी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32) Directly Issued Qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	50,000.00	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
31	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर) of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों (स्थायी ऋण लिखत) के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	50,000.00	
33	एटी1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत Capital instruments subject to phase out arrangements from AT1 capital	8,544.00	
34	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत) Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-	
35	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital before regulatory deductions	58,544.00	सी / C
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश Investments in own Additional Tier 1 instruments	-	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति- धारिता Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
39 ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-	
40 ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल) Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख) National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-	
41क/a असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	
41ख/b उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	
इसमें से: आस्थगित कर आस्तियां of which: Deferred Tax Assets	-	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
	इसमें से : गैर वित्तीय सहायक कंपनियों में निवेश [मौजूदा समायोजन जिसे टियर 1 से 50% पर कटौती की जाती है] of which: Investment in Non - Financial subsidiary [existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	-	
	इसमें से : साख एवं अन्य अमूर्त आस्तियां of which: Goodwill & Other Intangible Assets	-	
42	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 पूंजी के कारण अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory deductions applied to AT1 capital due to insufficient Tier 2 capital to cover deductions	-	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किए गए कुल विनियामक कटौतियाँ Total regulatory deductions to AT1 capital	0.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1) Additional Tier 1 capital (AT1)	58,544.00	
45	टियर 1 पूंजी (टियर 1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44) Tier 1 capital (Tier 1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	213,570.56	
टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पात्र टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	19,000.00	डी / D
47	टियर 2 में से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी लिखत Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	48,099.10	डी / D
48	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखत (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखत) Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
49	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
50	प्रावधान / Provisions	10,546.00	ई1 / E1
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी Tier 2 capital before regulatory deductions	77,645.10	
टियर 2 पूंजी: विनियामक कटौतियां Tier 2 capital: regulatory deductions			
52	स्वयं के टियर 2 पूंजी लिखतों में निवेश Investments in own Tier 2 capital instruments	-	
53	टियर 2 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in Tier 2 capital instruments		
54	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-	
55	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल) Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख) National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-	
56क/a	इसमें से: असमेकित सहायक कंपनियों की टियर 2 पूंजी में निवेश of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	-	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
56ख/b	उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
57	टियर 2 पूंजी के लिए प्रयुक्त विनियामक कटौतियां Total regulatory deductions to Tier 2 capital	-	
58	टियर 2 पूंजी (टी2) / Tier 2 capital (T2)	77,645.10	
59	कुल पूंजी (कुल पूंजी = टियर 1 + टियर 2) Total capital (Total capital = Tier 1 + Tier 2)	291,215.67	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां Total risk weighted assets	2,696,103.97	
60क/a	इसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां of which: total credit risk weighted assets	2,326,930.57	
60ख/b	इसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां of which: total market risk weighted assets	201,841.60	
60ग/c	इसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्ति पूंजी अनुपात of which: total operational risk weighted assets Capital ratios	167,331.81	
	पूंजीगत अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Capital ratios (as a percentage of risk weighted assets)		
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	5.750%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.921%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.801%	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
64 संस्था आधारित बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता के साथ पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं) Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.75%	
65 इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता of which: capital conservation buffer requirement	1.25%	
66 इनमें से: बैंक आधारित प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता of which: bank specific countercyclical buffer requirement	-	
67 इसमें से: जी-एसआईबी या डी-एसआईबी बफर आवश्यकता of which: G-SIB or D-SIB buffer requirement	-	
68 बफर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	-	
राष्ट्रीय न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National minima (if different from Basel III minimum)		
69 राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.75%	
70 राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.25%	
71 राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.25%	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
कटौती के लिए प्रारम्भिक सीमा से नीचे की राशियाँ (जोखिम भारिता से पहले) Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश Non-significant investments in the capital of other financial entities	828.46	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश Significant investments in the common stock of financial entities	10,223.99	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता को घटाकर) Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	लागू नहीं / N.A.	
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को घटाकर) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	लागू नहीं / N.A.	
टीयर 2 पूंजी में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू होनेवाली उच्चतम सीमाएं Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2 capital			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	10,546.00	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टीयर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	लागू नहीं / N.A.	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	लागू नहीं / N.A.	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन टीयर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	लागू नहीं / N.A.	
चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू) Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा Current cap on CET1 capital instruments subject to phase out arrangements	लागू नहीं / N.A.	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक) Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	लागू नहीं / N.A.	
82	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	लागू नहीं / N.A.	
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक) Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	लागू नहीं / N.A.	
84	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	लागू नहीं / N.A.	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

31 मार्च 2017 से प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017)	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक) Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	लागू नहीं / N.A.

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या Row No. of the template	विवरण / Particular	(राशि ₹ मिलियन में) (₹ In million)
10	संचित हानियों से सम्बद्ध आस्थगित कर आस्तियां Deferred tax assets associated with accumulated losses	241.26
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से सम्बद्ध को छोड़कर) Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	75,960.14
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार कुल / Total as indicated in row 10	76,201.40
19	यदि सहायक बीमा कंपनियों में किए गए निवेशों को पूंजी से पूर्ण रूप से घटाया न गया हो और उसे 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र माना गया हो तो उसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	इसमें से : सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	इनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	इनमें से: अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Tier 2 capital	
26ख/b	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में किए गए निवेशों की कटौती न की जाती हो तब भारत जोखिम निम्नानुसार होगा: If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	(ii) जोखिम भारत आस्तियों में वृद्धि Increase in risk weighted assets	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

50	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र प्रावधान / Eligible Provisions included in Tier 2 capital	10,546.00
	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	20,501.29
	पंक्ति 50 का योग / Total of row 50	31,047.29

तालिका डीएफ-12: पूंजीगत संरचना - समाधान अपेक्षाएं Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

चरण 1/Step 1

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

अ/आ	पूंजी एवं देयताएं / Capital & Liabilities	वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date
i	प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	20,588.15	20,588.15
	रिजर्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	292,563.93	286,765.76
	अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	705.68	0.00
	कुल पूंजी / Total Capital	313,857.75	307,353.92
ii	जमाराशियां / Deposits	2,682,156.79	2,684,387.89
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियां / of which: Deposits from banks	327,225.46	327,225.46
	इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां / of which: Customer deposits	2,354,931.33	2,357,162.44
	इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl.specify)	0.00	0.00
iii	उधारराशियां / Borrowings	563,639.77	563,639.77
	इसमें से : रिजर्व बैंक से / of which: From RBI	0.00	0.00
	इसमें से : बैंकों से / of which: From banks	36,734.50	36,734.50
	इसमें से : अन्य संस्थानों व एजेंसियों से / of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

	वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date
इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधार राशियां, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सि बांड तथा ओम्नी बांड of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds	327,175.27	327,175.27
इसमें से : पूंजीगत लिखतें / of which: Capital instruments	199,730.00	199,730.00
iv अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities & provisions	144,688.51	143,250.07
कुल / Total	3,704,342.83	3,698,631.67
आ/B आस्तियां / Assets		
i भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष जमा राशि Cash and balances with Reserve Bank of India	133,496.27	133,469.45
बैंकों के पास जमा शेष तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with banks and money at call and short notice	193,826.83	193,850.40
ii निवेश: / Investments:	930,748.69	927,388.74
इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां / of which: Government securities	839,931.51	838,662.79
इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / of which: Other approved securities	0.00	0.00
इसमें से : शेयर / of which: Shares	31,065.78	24,913.13
इसमें से : डिबेंचर एवं बांड / of which: Debentures & Bonds	22,503.20	22,070.71
इसमें से : सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / सहयोगी of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	255.00	4,405.98
इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds, etc.)	36,993.20	37,336.13
iii ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances	1,908,259.27	1,908,259.27
इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम / of which: Loans and advances to banks	6,664.05	6,664.05
इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम / of which: Loans and advances to customers	1,901,595.22	1,901,595.22
iv अचल आस्तियां / Fixed assets	74,332.26	73,582.96

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

	वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	
v	अन्य आस्तियां / Other assets	383,150.54	381,299.58
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां / of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	इसमें से : पात्र आस्थगित कर आस्तियां / of which: Eligible Deferred tax assets	76,201.40	76,201.40
vi	समेकन पर साख / Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष / Debit balance in Profit & Loss account	80,528.96	80,781.25
	कुल आस्तियां / Total Assets	3,704,342.83	3,698,631.67

चरण 2 / Step 2.

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
अ/A	पूंजी एवं देयताएं / Capital & Liabilities		
i	प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	20,588.15	20,588.15
	इसमें से : सीईटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for CET1	20,588.15	20,588.15
			ए1/A1

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
इसमें से : एटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00	
रिजर्व एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	292,563.92	286,765.76	
शेयर प्रीमियम / Share Premium	123,015.30	123,015.30	बी2 / B2
सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserve	30,193.47	30,193.47	बी3 / B3
पूंजी रिजर्व / Capital Reserve	13,333.99	8,941.82	बी4 / B4
अन्य प्रकटित निर्बंध रिजर्व / Other Disclosed Free Reserve	71,843.67	70,418.45	बी5 / B5
लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in P&L account			
पुनर्मूल्यन रिजर्व Revaluation Reserve	54,177.49	54,177.49	
इसमें से: सीईटी 1 हेतु पात्र राशि of which: Amount eligible for CET1	20,501.29	20,501.29	ई2 / E2
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	705.68	0.00	
कुल पूंजी / Total Capital	313,857.75	307,353.92	
ii जमाराशियां / Deposits	2,682,156.79	2,684,387.89	
इसमें से : बैंकों से जमाराशियां / of which: Deposits from banks	327,225.46	327,225.46	
इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां / of which: Customer deposits	2,354,931.33	2,357,162.44	
इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00	
iii उधार राशियां / Borrowings	563,639.77	563,639.77	
इसमें से : रिजर्व बैंक से / of which: From RBI	0.00	0.00	
इसमें से : बैंकों से / of which: From banks	36,734.50	36,734.50	
इसमें से : अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधार राशियां, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सि बांड तथा ओम्नी बांड <i>of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds</i>	327,175.27	327,175.27	
इसमें से : पूंजीगत लिखतें / <i>of which: Capital instruments</i>	199,730.00	199,730.00	
- इसमें से / <i>of which</i>			
क) पात्र अतिरिक्त टियर 1 a) <i>Eligible Additional Tier 1</i>	58,544.00	58,544.00	सी / C
ख) पात्र टियर 2 b) <i>Eligible Tier 2</i>	67,099.10	67,099.10	डी / D
iv अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other liabilities & provisions	144,688.51	143,250.07	
इसमें से : मानक आस्तियों पर विवेकपूर्ण प्रावधान, अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान जो टियर 2 पूंजी के अंतर्गत शामिल एनपीए की बिक्री से उत्पन्न हुए. <i>of which: Prudential provisions against standard assets, provision for unhedged foreign currency exposure and excess provisions which arise on account of sale of NPAs included under Tier 2 Capital</i>	10,546.00	10,546.00	ई1 / E1
कुल / Total	3,704,342.83	3,698,631.67	
आ/B आस्ति / Asset			
i भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि Cash and balances with Reserve Bank of India	133,496.27	133,469.45	
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with banks and money at call and short notice	193,826.83	193,850.40	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
ii निवेश / Investments	930,748.69	927,388.74	
इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां of which: Government securities	839,931.51	838,662.79	
इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां of which: Other approved securities	0.00	0.00	
इसमें से : शेयर / of which: Shares	31,065.78	24,913.13	
इसमें से : डिबेंचर एवं बांड / of which: Debentures & Bonds	22,503.20	22,070.71	
इसमें से : सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / सहयोगी of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	255.00	4,405.98	
इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	36,993.20	37,336.13	
iii ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances	1,908,259.27	1,908,259.27	
इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to banks	6,664.05	6,664.05	
इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to customers	1,901,595.22	1,901,595.22	
iv अचल आस्तियां / Fixed assets	74,332.26	73,582.96	
जिनमें से अमूर्त आस्तियां / out of which intangibles	160.41	147.87	एफ / F

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation		
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.	
v	अन्य आस्तियां / Other Assets	383,150.54	381,299.58	
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	इसमें से / Out of which:			
	साख / Goodwill	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर को छोड़कर) Other intangibles (excluding MSRs)	0.00	0.00	
	आस्थगित कर आस्तियां Out of which Eligible Deferred tax assets	76,201.40	76,201.40	जी / G
vi	समेकन पर साख Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष Debit balance in Profit & Loss account	80,528.96	80,781.25	बी6 / B6
	कुल आस्तियां / Total Assets	3,704,342.83	3,698,631.67	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

चरण 3 / Step 3:

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ-11
(भाग I / भाग II जो भी लागू हो)
Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11
(Part I / Part II whichever, applicable)

सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखतें एवं रिज़र्व
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of Regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र की संदर्भ संख्या / अक्षरों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	सीधे जारी किए गए अर्हताप्राप्त सामान्य शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समतुल्य) पूंजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	20,588.15 ए1 / A1
2	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष Debit balance in Profit & Loss account	80,781.25 बी6 / B6
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य रिज़र्व) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	253,070.33 बी2+बी3+बी4+बी5+ई2 B2+B3+B4+B5 +E2
4	आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी1 पूंजी के रूप में अनुमत भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि Share application money received from GOI allowed as CET1 capital, pending allotment	19,000.00 बी7 / B7
5	सीईटी1 से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	-
6	सहायक संस्थाओं द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-
7	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	211,877.23 बी1 / B1
8	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन Prudential valuation adjustments	-
9.	साख (संबद्ध कर देयता को घटा कर) Goodwill (net of related tax liability)	-

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

Table DF- 13: Main features of regulatory capital instruments

डीएफ-13: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं वेबसाइट पर “विनियामक प्रकटन खंड>>वित्तीय वर्ष 2016-17 (बासेल III)>>मार्च 2017” के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

“DF- 13: Main features of regulatory capital instruments issued by the Bank are available on the website under "Regulatory Disclosure Section >> FY 2016-17 (Basel III) >> March 2017".

तालिका डीएफ-14: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों के निबंधन और शर्तें

Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments issued by the Bank

डीएफ 14. बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों के लिए टर्म शीट वेबसाइट पर “विनियामक खंड>>वित्तीय वर्ष 2016-17 (बासेल III)>>मार्च 2017” के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

“DF- 14.The Term Sheets for regulatory capital instruments issued by the Bank are available on the website under "Regulatory Disclosure Section >> FY 2016-17 (Basel III) >>March 2017".

तालिका डीएफ 16: इक्विटी - बैंकिंग बही स्थितियां

Table DF-16: Equities – Banking Book Positions

निम्नलिखित में इक्विटी निवेश बैंकिंग बही में धारित हैं :

Equity investments in the following are held in the Banking book:

1. सहायक संस्थाएं और संयुक्त उद्यम (जेवी) - कंपनियों के लाभ वितरण में भाग लेने के इरादे से इन्हें लंबे समय तक बनाए रखने का विचार है। इन निवेशों को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
Subsidiaries & JVs - These are intended to be held for a long time with an intention to participate in the distribution of profits of the companies. These investments are classified as HTM.
2. सहयोगी संस्थाएं - इन निवेशों में अधिकांश निवेश पूर्ववर्ती विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) द्वारा अपनी विकास बैंकिंग भूमिका को पूरा करने के लिए किए गए हैं। बैंक का विचार जब कभी मौका आने पर इन निवेशों का विनिवेश करने का है। इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
Associates - Most of these investments were originated by the erstwhile Development Financial Institutional (DFI) in full fillment of its development banking role. Bank intends to divest these investments as and when opportunity arises. These investments are classified as AFS.
3. निवेशकर्ता कंपनियों की इक्विटी पूंजी में शेयरधारिता 20% से भी कम है जो अभिदान/खरीद/ बकाया ऋणों के इक्विटी में परिवर्तन/क्षतिपूर्ति की वसूली के माध्यम से अर्जित है। इन्हें मध्यावधि के रूप में बनाए रखने का विचार है तथा इन्हें वापसी खरीद के माध्यम से विनिवेश और या अन्य पक्ष, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य माध्यम से बिक्री किया जाएगा। इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
Shareholding of less than 20% in equity capital of the investee companies which has been acquired through subscription/ purchase / conversion of loan dues into equity/recovery of recompense. These are intended to be held over medium term and to be divested through buyback and / or sale through third parties, stock exchanges or otherwise. These investments are classified as AFS.

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार भाव पर दर्शाना होता है और इन्हें अधिग्रहण लागत पर वहन किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर, इक्विटी निवेश के मूल्य में किसी हास के लिए प्रावधान करना होता है। एचटीएम श्रेणी में निवेश की बिक्री पर कोई हानि होने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाना होता है तथा इसके बाद इसका आरक्षित पूंजी, कुल करों और सांविधिक आरक्षित निधियों में विनियोजन किया जाता है।

As per the RBI guidelines, investments classified under HTM category need not be marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the profit and loss statement. Any profit on sale of investments under HTM category is recognized in the profit and loss statement and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

निवेश नीति के अनुसार, बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत भाव वाले इक्विटी शेयरों के दैनिक आधार पर बाजार भाव दर्शाते होते हैं। वे इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान दर उपलब्ध नहीं है या जहां शेयरों के दर स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत नहीं किए गए हैं उनको ब्रेक-अप मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर विचार किए बिना) पर मूल्यांकित किया जाता है जिसका पता कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र (मूल्यांकन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं) से लगाया जाता है। नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी ₹ 1 लगाया जाता है।

As per the Investment policy, the quoted equity shares in the Bank's portfolio are marked to market on a daily basis. Equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the stock exchanges, are valued at the break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is ascertained from the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). In case the latest balance sheet is not available the shares are valued at Re.1 per company.

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इस कार्य-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

There has been no change in these practices during the reporting period

बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश :

Equity Investments in Banking Book:

क्र.सं. Sr. No	विवरण Description	(₹ मिलियन में) (₹ in Million)
1	बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश Equity Investments in Banking Book	
	क) निवेशों के तुलन पत्र में प्रकट मूल्य a) Value disclosed in the balance sheet of investments	43,631.61
	ख) निवेशों का उचित मूल्य b) Fair value of the investments	52,044.36
	चूंकि बैंक मानता है कि ऐसे शेयरों का सार्वजनिक रूप से उद्धृत मूल्य ही इन शेयरों का उचित मूल्य है, अतः दोनों मूल्यों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। As Bank considers the publicly quoted share value to be the fair value of such shares, there is no material difference between the two values.	
2	निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत राशियों सहित निवेशों के प्रकार और उनकी प्रकृति: The types and nature of investments including the amount that can be classified as:	इक्विटी शेयर Equity shares
	क) सार्वजनिक रूप से किए गए लेन-देन a) Publicly traded	21,882.12
	ख) निजी तौर पर धारित (असूचीबद्ध) b) Privately held (Unlisted)	21,749.49
3	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री और परिसमापन से प्राप्त संचयी वसूली अभिलाभ (हानि) The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	5,989.35
4	कुल अप्राप्त अभिलाभ (हानि)* Total unrealised gains (losses)*	शून्य NIL
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन अभिलाभ (हानि)** Total latent revaluation gains (losses)**	8,412.75
6	उपर्युक्त में से कोई राशि जो टियर 1 और या टियर 2 पूंजी में शामिल है। Any amounts of the above included in Tier 1 and or Tier 2 capital.	शून्य NIL

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

* अप्राप्त अभिलाभ (हानि) तुलन पत्र में दर्शाए जाते हैं, लेकिन लाभ-हानि लेखे के माध्यम से नहीं.

* Unrealised gains (losses) recognised in the balance sheet but not through the profit and loss account

** अप्राप्त अभिलाभ (हानि) न ही तुलन पत्र में दर्शाए जाते हैं और न ही लाभ-हानि लेखे के माध्यम से.

** Unrealised gains (losses) not recognised either in the balance sheet or through the profit and loss account.

तालिका डीएफ 17: लीवरेज अनुपात - लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन की तुलना में लेखांकन आस्तियों का तुलनात्मक सार
Table DF-17: Leverage Ratio - Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure.

क्र.सं. Sr. No	मद Item	(₹ मिलियन में) (₹ in Million)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां Total consolidated assets as per published financial statements	3,623,813.866
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजन से समेकित किया गया है, लेकिन विनियामकीय रूप से समेकन के क्षेत्र में नहीं आते हैं. Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(4,656.00)
3	न्यासी आस्तियों के लिए समायोजन जिन्हें परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अंतर्गत तुलन पत्र में दर्शाया गया है, लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन में शामिल नहीं किया गया है. Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन Adjustments for derivative financial instruments	53,912.80
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देनों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और समरूप सुरक्षित उधार) Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	
6	तुलन पत्र से बाहर की मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन पत्र एक्सपोजर से बाहर की ऋण समतुल्य राशियों का रूपान्तरण) Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures).	768,404.96
7	अन्य समायोजन Other adjustments.	74764.98
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर Leverage ratio exposure.	4,366,710.65

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

डीएफ 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

DF-18: Leverage ratio common disclosure template

क्र.सं. Sr. No	मद Item	₹ मिलियन में (₹ in Million)
तुलन पत्र में एक्सपोजर On-balance sheet exposures		
1	तुलन पत्र में शामिल मदें (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक सहित) On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3,438,271
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी को ध्यान में रखकर घटायी गई राशि) (Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(77,878)
3	तुलन पत्र में शामिल कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (लाइन 1 और 2 का योग) Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	3,360,393
डेरिवेटिव एक्सपोजर Derivative exposures		
4	सभी डेरिवेटिव लेन-देन से सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात् निवल पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन) Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	22,910
5	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों से सम्बद्ध पीएफई के लिए जोड़ी गई राशि Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	31,003
6	प्रदत्त डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए सकल राशि जहां परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलन पत्र आस्तियों से घटायी गई है। Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework.	0.00
7	(डेरिवेटिव लेन-देन में की गई व्यवस्था में नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य राशियों की कटौती) (Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions).	0.00
8	(ग्राहक मंजूर व्यापार एक्सपोजर से संबन्धित सीसीपी लेग छूट) (Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures).	0.00
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव से संबन्धित समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि Adjusted effective notional amount of written credit derivatives.	0.00
10	लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए जोड़ी गई समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि। Adjusted effective notional amount of written credit derivatives.	0.00
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग) Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10).	53912.80
प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन एक्सपोजर Securities financing transaction exposures.		
12	बिक्री लेखांकन लेन-देन के लिए समायोजन के बाद निवल एसएफटी आस्तियां (बिना निवल राशि के साथ) Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions.	184,000
13	(सकल एसएफटी आस्तियों से संबन्धित नकदी देय राशियों और प्राप्य राशियों के लिए निर्धारित राशि) (Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets).	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर CCR exposure for SFT assets.	0.00

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2017)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2017)

क्र.सं. Sr. No	मद Item	₹ मिलियन में (₹ in Million)
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर Agent transaction exposures.	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग) Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15).	184,000
	तुलन पत्र से अलग अन्य एक्सपोजर Other off-balance sheet exposures.	
17	सकल आनुमानिक राशि में तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर Off-balance sheet exposure at gross notional amount.	2,247,811
18	(ऋण समतुल्य राशियों में संपरिवर्तन के लिए समायोजन) (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts).	(1,479,406)
19	तुलन पत्र से अलग मद (पंक्ति 17 से 18 का योग) Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18).	768,405
	पूंजी और कुल एक्सपोजर Capital and total exposures.	
20	टियर 1 पूंजी Tier 1 capital.	213,571
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग) Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19).	4,366,711
	लीवरेज अनुपात Leverage ratio.	
22	बासेल III लीवरेज अनुपात Basel III leverage ratio.	4.89%

प्रकाशित वित्तीय विवरणों और लीवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर के अनुसार कुल समेकित आस्तियों के बीच समाधान

Reconciliation between Total consolidated assets as per published financial statements and On-balance sheet exposure under leverage ratio

क्र.सं. Sr. No	मद Item	(₹ मिलियन में) (₹ in Million)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां Total consolidated assets as per published financial statements	3,623,813.87
2	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों से सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत, अर्थात् पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन को घटाकर Replacement cost associated with all derivatives transactions, i.e. net of eligible cash variation margin	0.00
3	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और समरूप प्रतिभूत उधार) Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	184,000.00
4	संपाश्विकों के लिए समायोजन तथा विनियामकीय समेकन परिसीमा से बाहर के लिए समायोजन Adjustment for Collaterals and adjustments entities outside the scope of regulatory consolidation	1543.25
5	लीवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) On-balance sheet exposure under leverage ratio (excluding derivatives and SFTs)	3,438,270.62